



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

जबलपुर सम्भाग : जी०सी०एफ० इस्टेट , साईंस कॉलेज के पीछे, जबलपुर - ४८२ ०११ (म०प्र०)
Jabalpur Region :: GCF Estate, Behind Science College, Jabalpur - 482 011(MP)
(URL: www.kvsrojabalpur.org :: e-Mail: ro-jabalur@kvs.gov.in)

No. F.22029/2020-21/ RO (JBP) / 2876-2956

Dated: 22-06-2021

कार्यालय आदेश

एतद द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्र क्र०11014/2/2008/एडमिन/451 दिनांक 01.04.2008 एवं एफ -11-17/2020-केविएस/मुख्यालय/एडमिन -1/593 दिनांक 14.05.2010 के परिपालन में एवं पूर्व में इस कार्यालय से जारी आदेश क्र०/एफ 22029/2017-18/केविएस/आरओ/जेबीपी/7484-7540 दिनांक 12.01.2018/ **No. F.22029/2020-21/ RO (JBP) / 18360-440 dated - 15-12-2020** का दमन करते हुए ग्रीवियान्स रिड्रेसल कमेटी,ओबीसी/एससी/एसटी सेल, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर संभाग निम्नानुसार पुर्नगठित की जाती है :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	दायित्व
01	श्रीमती शाहिदा परवीन , सहायक आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन,जबलपुर संभाग	Convenor/Liason Officer
02	श्री एम पी कुर्वेती , प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय, छिंदवाड़ा क्र०2	Member
03	श्री धर्मन्द्र कुमार ,प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन,जबलपुर संभाग	Member
04	श्री पियूष खरे ,सहायक अनुभाग अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन,जबलपुर संभाग	Member

उपरोक्तानुसार कमेटी केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर संभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के दृष्टिगत कार्य करेंगी, साथ ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन के एजुकेशन कोड के आर्टिकल 159 का अनुसरण करेगी। Convenor/Liason Officer के द्वारा निम्नानुसार निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संलग्न:- उपरोक्त संदर्भित पत्र

(Handwritten signature)

(ताजुद्दीन शेक)
उपायुक्त

प्रतिलिपि -

1. समस्त संबंधित सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त आयुक्त(प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय),नई दिल्ली।
3. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, जबलपुर संभाग।
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त संभाग।
5. क्षेत्रीय कार्यालय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।